भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 696

दिनांक 23 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

उच्च क्षमता वाली नई विद्युत पारेषण लाइन का निर्माण

696. श्री अमरा राम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्च क्षमता वाली नई विद्युत पारेषण लाइनों और टावरों के निर्माण से किसानों की कृषि भूमि, फसलों और सिंचाई प्रणालियों को नुकसान पहुंच रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं से प्रभावित हुए किसानों की संख्या कितनी है और उन्हें प्रदान किए गए मुआवजे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में ऐसी बिजली पारेषण लाइनों से प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान करने की दरों और प्रक्रिया में व्यापक असमानता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देशभर में एक समान और उचित मुआवजा नीति तैयार करने, तथा टावरों और बिजली लाइन गलियारों के तहत भूमि-उपयोग प्रतिबंधों के लिए किसानों को उचित वार्षिक या एकमुश्त मुआवजा प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (च) :

i. पारेषण लाइनों और टावरों के निर्माण के दौरान, भूभाग, मार्ग संरेखण और स्थल की परिस्थितियों के आधार पर कृषि भूमि, खड़ी फसलों और कुछ मामलों में सिंचाई सुविधाओं को अस्थायी क्षति हो सकती है। हालांकि, पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी) पारेषण लाइन संरेखण के

अनुकूलन, उपयुक्त टावर डिजाइनों को अपनाकर और उचित निर्माण पद्धतियों का उपयोग करके ऐसे प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास करते हैं।

ii. पारेषण लाइनों के लिए राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) का अधिग्रहण विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। निर्माण के दौरान फसलों, वृक्षों और अन्य नुकसानों की भरपाई तथा आरओडब्ल्यू गलियारे के अंतर्गत भूमि के मूल्य में कमी के लिए भूस्वामियों को संबंधित राज्य सरकारों की लागू नीतियों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। इस संबंध में, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14.06.2024 को पारेषण लाइनों के लिए आरओडब्ल्यू मुआवजे के भुगतान के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे। दिनांक 21.03.2025 को पूरक दिशानिर्देश जारी किए गए, जिनमें 15.12.2025 को संशोधन किया गया। राज्य सरकारें इन दिशानिर्देशों को पूर्णतः अपना सकती हैं या अपने स्वयं के संशोधित दिशानिर्देश जारी कर सकती हैं। राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अभाव में, मुआवजे के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी ये दिशानिर्देश लागू होंगे।

iii. देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य पारेषण यूटिलिटी और निजी पारेषण सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा पारेषण परियोजनाओं/स्कीमों को कार्यान्वित किया जाता है। इस मंत्रालय द्वारा पारेषण परियोजनाओं से प्रभावित किसानों की संख्या या उन्हें दिए गए मुआवजे का राज्यवार विवरण नहीं रखा जाता है।
